राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

रोशन बाई बनाम् राजस्थान राज्य।
(एकलपीठ दाण्डिक विविध तृतीय जमतानत प्रार्थना पत्र संख्या-2521/2010)

31.03.2010

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री दिनेश सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
श्री लक्ष्मण मीना, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के अन्तर्गत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री दिनेश सिंह का कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आज प्रकरण अभियुक्त के कथन लेखबद्ध किये जाने के लिए नियत है, ऐसी स्थिति में वह इस दाण्डिक तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र को इस स्वतंत्रता के साथ वापिस लेना चाहते हैं कि विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि वह उसके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक प्रकरण का एक माह की अवधि में निस्तारण करें। लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना का विरोध किया।

मुझे विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना न्यायोचित प्रतीत होती है।

परिणामत: प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र उक्त स्वतंत्रता के साथ वापिस लिए जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके समक्ष विचाराधीन प्रार्थी के दाण्डिक प्रकरण का पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से निस्तारण कर देगा।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.